

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 178/2026

Hariram Yadav S/o Shri Bhuramal Yadav

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Vinay Pal Yadav

For Respondent(s) : Mr. Sudesh Kumar Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

28/04/2026

याची की ओर से योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आई0ए संख्या-01/2026 पर सुना गया, जिसके अनुसार कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप से उन्हें छूट प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अधिवक्ता याची का निवेदन है कि उनके द्वारा सम्पूर्ण आरोप पत्र मय दस्तावेज पेश कर दिए गए हैं, शेष दस्तावेज फोटोप्रति होने के कारण उनकी प्रतियां उन्हें प्राप्त नहीं होने के कारण पेश नहीं किए गए हैं।

योग्य अधिवक्ता याची के उपरोक्त कथनों एवं प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेपों से उन्हें छूट प्रदान की जाती है।

कार्यालय इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करें।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J